

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), धौमू (जिला-जयपुर)

कृष्ण बनाम गिरधारीलाल वगैरे

2025/130

मा नम्बर :- 107/2025

बाद धारा 83, 188 आर.डी.एक्ट.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
04.06.2025   18/6/25	<p>वकील वादी ने बाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। धारा 80(2) सीओसीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजि०एडि से की जाने हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 18/6/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(mni)</p> <p>प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 07/07/25 को पेश हो</p>	
30/6/25	<p><del>पत्रावली आज वादी अधिवक्ता पितृपुत्र श्रेष्ठ श्रीश्याम ने उपस्थित होकर शब्द पत्रावली जलम किने जाने पेश करने पर डिफेंड से तलब किया जाकर पेश हुयी वादी अधिवक्ता ने पत्रावली नोट पेश करने का निवेदन किया। डॉक्टर बहरा वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि राजस्थान सरकार के बच्चे-शिशुओं के कारण श्याम बरबरा/बबरा/जयश्याम में धारित कि हो चुके हैं अतः बच्चे बबरा/बबरा वादा पेश करने की अनुमति दिया जाकर वादा पत्र से नोट पेश किया जावे की अनुमति प्रदान करे।</del></p> <p>पत्रावली एवं शब्द पत्रावली किना बरबरा/बहरा पर मनन किया गया। वादी का शब्द पत्र स्वीकार</p>	<p>नवीन पत्रावली निवेदन Nodopue Shukla</p>

किता जाकर नया चाड प्रकल्प करने की  
दुल रिता जाकर चाडी का धरु  
नोट प्रेश के आन्ध्रार एर वेगारिण  
किता जाता है पत्रावली केवल  
दुमात्र-दोकर रुजि आरखर के मरु  
दी एव साखिल इमतर है  
मन

मन  
मन  
मन  
मन